

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 15(01)चिस्वा/2/2023/पार्ट

जयपुर,दिनांक:

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.02.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 118 पर अंकित डॉ. ओमप्रकाश नायक का पदनाम 'उपनिदेशक' के स्थान पर 'उप अधीक्षक' संशोधित पढा जावें।

साथ ही विभागीय आदेश क्रमांक 04(1)चिस्व/2/2023/ओ-128 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा जारी विभागीय जांच बकाया नहीं के प्रमाण पत्र में 'डॉ. ओमप्रकाश नायक' के स्थान पर 'डॉ. ओमप्रकाश नायक' तथा पदनाम 'उपनिदेशक' के स्थान पर 'उप अधीक्षक' संशोधित पढा जावें।

आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग जयपुर।
3. डॉ. ओमप्रकाश नायक, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
4. कम्प्यूटर/रक्षितपत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5372905



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.01.24 17:22:25 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/ओ-128/2023/47

दिनांक : 07/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 24.01.2024 के क्रम में।
2. निदेशक पेंशन पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जयपुर।
4. अधीक्षक जनाना चिकित्सालय जयपुर
5. डॉ0ओमप्रकाश नायक, उप निदेशक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटीसी/डीपीसी मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
5493279

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :06-02-2024 11:47:34